हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: L74899DL1970GOI005276
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट: www.hudco.org.in ई-मेल: cswhudco@hudco.org
दूरभाष: 011-24649610-23

प्रिय शेयरधारक,

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश के स्रोत पर कर कटौती के संबंध में सूचना/ संचार।

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.65 रुपये यानी 26.50% का अंतिम लाभांश देने की अनुशंसा की है, जो बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को होने वाली 54वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।

सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किए गए लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य होंगे। इसलिए कंपनी को लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक होगा। आयकर अधिनियम के तहत निवासी और अनिवासी शेयरधारकों के लिए लागू स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान निम्नानुसार हैं:

विस्तृत प्रक्रिया के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर जाएँ निवेशक/54AGM/TDS संचार। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कर की शून्य/रियायती दर पर छूट का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और जैसा कि आईटी अधिनियम के तहत आवश्यक है, कंपनी को dividend.tax@hudco.org पर 17 सितंबर, 2024 को या उससे पहले जमा करवाएँ ताकि कंपनी उचित टीडीएस दरें निर्धारित कर सके। 17 सितंबर, 2024 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार या ऊपर उल्लेखित निर्दिष्ट ईमेल पते के अलावा किसी अन्य ईमेल पर जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

A. निवासी शेयरधारकों के लिए: आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत करों को स्रोत पर काट दिया जाएगा इस प्रकार मान्य :-

स्थायी खाता संख्या वाले सदस्य (पैन)	10% या सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया
भारत का सदस्यों के पास पैन/ वैध पैन नहीं है*	20% या सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया
भारत का जिन सदस्यों को 'निर्दिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है	देय लाभांश की राशि पर निर्दिष्ट दर से दोगुना या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
भारत सरकार कम/ शून्य कर कटौती प्रस्तुत करने वाले सदस्य आयकर विभाग यू/एस 197 द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयकर अधिनियम	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर

* आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक होगा। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में, आवंटित पैन को अमान्य/निष्क्रिय माना जाएगा और आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित उच्च दरों पर कर काटा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए को अपना पैन प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत ऐसा करें।

निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए टीडीएस की कटौती '

निर्दिष्ट व्यक्ति पर उच्च दर की प्रयोज्यता* निवासी सदस्यों के मामले में धारा 206AB के अनुसार और अनिवासी सदस्य जिनके पास धारा 194 के तहत टीडी के लिए भारत में स्थायी स्थापना है अधिनियम का:-

अधिनियम की धारा 206AB के तहत टीडी की दर निम्नलिखित से अधिक होगी:-

(i) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुना

(ii) दोगुना दर या जारी किए दर में; या

(iii) पांच प्रतिशत की दर।

निर्दिष्ट व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने कर कटौती किए जाने वाले वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसके लिए धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और स्रोत पर काटे गए और संग्रहित कर का कुल योग 50,000/- रुपये या उससे अधिक है।

इस संबंध में, कंपनी आयकर विभाग द्वारा धारा 206एबी के तहत अनुपालन जांच के लिए प्रदान की गई कार्यक्षमता के आधार पर 'निर्दिष्ट व्यक्ति' का मूल्यांकन करेगी।

• यदि कोई निवासी या अनिवासी सदस्य आयकर विभाग द्वारा उपर्युक्त कार्यक्षमता के अनुसार 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की श्रेणी में आता है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 206AB (प्लस लागू सरचार्ज और सैस) के अनुसार उच्च दर पर, कर काटने के लिए बाध्य होगी।

• अनिवासी शेयरधारकों या अनिवासी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 206AB में उल्लिखित कर की उच्च दर लागू नहीं होगी, यदि ऐसे अनिवासी का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह निर्धारित करने के लिए कार्यक्षमता निर्धारित की है कि क्या एक व्यक्ति 'निर्दिष्ट व्यक्ति' होने की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। तदनुसार, कंपनी सीबीडीटी द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त कार्यक्षमता से सत्यापित करेगी कि क्या कंपनी का कोई शेयरधारक प्रासंगिक टीडीएस दरों को लागू करने से पहले 'निर्दिष्ट व्यक्ति' के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

देय लाभांश पर कोई कर काटा नहीं जाएगा:

ए) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, अगर:

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि कुल मिलाकर 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी; तथा

(ii) ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15g (फॉर्म 15H (फॉर्म 15H) प्रदान करता है या अधिक) आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन। निवासी शेयरधारक भी प्रस्तुत कर सकते हैं कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है, कर के कम/शून्य रोक का दावा करने के लिए। पैन फॉर्म 15g / 15h या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता प्रदान करने वाले सदस्यों के लिए अनिवार्य है आईटी अधिनियम के तहत।

बी) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक के अलावा:

निम्न शेयरधारकों :

श्रेणी शेयरधारक	दस्तावेजों की आवश्यकता
बीमा कंपनियां	स्व-घोषणा कि वे शेयरों के लाभकारी ओनर्स हैं, पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन की स्व-सत्यापित प्रति के साथ।
म्यूचुअल फंड	स्व-घोषणा कि वे अधिनियम, 1961 की धारा 10(23डी) के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) स्थापित/ भारत में शामिल	एक स्व-घोषणा कि उनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों के तहत श्रेणी । या श्रेणी ॥ एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
नई पेंशन प्रणाली	एक स्व-घोषणा कि वे अधिनियम की धारा 10(44) [धारा 197ए की उप-धारा 1ई] के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति
केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित कॉर्पोरेशन	दस्तावेज़ी साक्ष्य कि निगम अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत आता है और पैन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ।
अन्य गैर-व्यक्तिगत निवासी शेयरधारक	आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य और आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत कवर की गई श्रेणियां।

B. **अनिवासी शेयरधारकों के लिए:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य अनिवासी शेयरधारकों को देय लाभांश की राशि पर टीडीएस 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर)

या कर संधि दर, जो भी कम हो या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हो, की दर से काटा जाएगा। कर संधि दर का लाभ उठाने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को कंपनी को सभी मामलों में निम्नलिखित पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आवंटित वैध पैन कार्ड की स्व-अटैच कॉपी या आयकर नियमों के नियम 37 बीसी के तहत निर्धारित विवरण, 1962;
- टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) की स्व-अटैच्ड कॉपी फाइनेंशियल ईयर 2024- 25 उस देश के राजस्व या कर अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जिसमें शेयरधारक निवासी है;

- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10F सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा जारी किया गया। फॉर्म 10F इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा आत्म-घोषणा में कोई स्थायी स्थापना नहीं होने का भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 की लागू कर संधि के अनुसार;
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा;
- आत्म-घोषणा कि गैर-निवासी शेयरधारक के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित कर संधि;
- यदि लागू हो तो करों की कम कटौती के लिए आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित/निर्धारित किए जाने वाले कोई अन्य दस्तावेज, शेयरधारक द्वारा विधिवत सत्यापित।

लाभांश राशि पर कर कटौती/रोक के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। करों को रोकने के उद्देश्य से कर संधि की लाभकारी दर का आवेदन गैर-निवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

यदि शेयरधारक एक ही पैन के तहत विभिन्न स्थिति/श्रेणी के तहत कई खातों में शेयर रखते हैं, तो जिस स्थिति में शेयर, पैन के तहत रखे गए हैं, उस पर लागू कर में से जो अधिक है, उसे विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण होल्डिंग पर माना जाएगा।

शेयरधारक(यों) द्वारा दी गई/दी जाने वाली जानकारी में किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति, अशुद्धि या चूक के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक(यों) कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, कंपनी को सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने और कंपनी द्वारा की जाने वाली अपीलीय कार्यवाही में सहयोग करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

यदि रिकॉर्ड तिथि अर्थात 13 सितंबर, 2024 को लाभांश आय पंजीकृत शेयरधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में कर योग्य है (अर्थात शेयर वास्तविक लाभकारी स्वामी की ओर से क्लियरिंग सदस्य, ब्रोकर आदि द्वारा रखे गए हैं), तो ऐसे पंजीकृत शेयरधारक (अर्थात उक्त क्लियरिंग सदस्य, ब्रोकर आदि) को 13 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वास्तविक लाभकारी स्वामी का नाम, पता, आवासीय स्थिति और पैन शामिल होगा, जिसे टीडीएस क्रेडिट दिया जाना है, और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने के कारण। इस तिथि के बाद कंपनी द्वारा इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

54वीं एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद अंतिम लाभांश निर्धारित समय अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा। सेबी ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र के साथ 7 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र और अन्य प्रासंगिक लागू परिपत्रों के माध्यम से आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करने और पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड निर्धारित किए हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भौतिक फोलियो, जिनमें उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वे आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद ही शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक बार फिर अनुरोध है कि वे पैन, केवाईसी और अन्य अपेक्षित विवरण कंपनी के आरटीए यानी अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करें, जो कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध हैं।

लाभांश के भुगतान के बाद, टीडीएस प्रमाणपत्र आपके पंजीकृत ईमेल पर समय से ईमेल किया जाएगा; शेयरधारक आयकर वेबसाइट पर अपने ई-फाइलिंग खातों से फॉर्म 26AS/AIS भी देख सकते हैं।

***